

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 55 वर्ष 2025-26

आवेदक- राजु कुमार महतो

क्रेता- हेमन्ती कुमारी

ग्राम- किमोजोरिया

ग्राम- किमोजोरिया

थाना- नावाडीह

जिला-बोकारो

थाना-नावाडीह

जिला-बोकारो

आदेश की क०
सं० तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर व
कारवाई के
टिप्पणी तारी
03

14/8/25

आदेश

यह वाद आवेदक-राजु कुमार महतो, पिता-स्व० भगत महतो उर्फ भगतु महतो, निवास ग्राम-किमोजोरिया, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
किमोजोरिया	77	3	670	0.28 ए०	0.05 ए०	रैयती, टांड II वर्तमान स्वरूप बारी

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में क्रेता-हेमन्ती कुमारी, पति-बबलु कुमार निवास ग्राम-किमोजोरिया, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1197/रा०, दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक-704, दिनांक-01.08.2025 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में बिक्रेता के दादा किसुन महतो के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं० 170/1 में बिक्रेता के पिता भगतु महतो के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. खतियानी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा पोता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में बिक्रेता के दादा किसुन महतो के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं० 170/1 में बिक्रेता के पिता भगतु महतो के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत है। बिक्री वाली

M

जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति है, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजात एवं उक्त अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही वन में जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी रैयत के कब्जे में है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

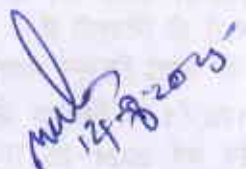
अतः आवेदक-राजु कुमार महतो, पिता-स्व० भगत महतो उर्फ मगतु महतो निवास ग्राम-किमोजोरिया, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ० सीमा	द० सीमा	पू० सीमा	प० सीमा
किमोजोरिया	3	670	0.28 ए०	0.05 ए०	रास्ता	रास्ता	शम्भू प्रसाद	कार्तिक महतो वाके
कुल				05 डी० (पाँच डिसमिल जमीन मात्र)				

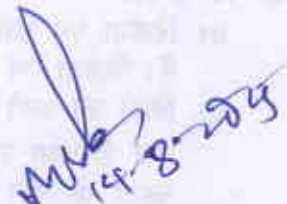
मो० 85,000/- (पचासी हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-हेमन्ती कुमारी, पति-बबलु कुमार निवास ग्राम-किमोजोरिया, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।


14-8-2025

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।


14-8-2025

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।